

THE UTTAR PRADESH MOTOR GADI (YATRI KAR) (SANSHODHAN)  
ACT, 1970

(U. P. ACT No. 20 OF 1970)

[\*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970.]

AN  
ACT

furthcr to amend the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri Kar) Adhiniyam, 1962

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970.

Short title.

2. In the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri Kar) Adhiniyam, 1962, in section 3, for the proviso to sub-section (1) thereof, the following proviso shall be substituted, namely :—

Amendment of section 3 of U. P. Act No. VIII, 1962.

“Provided that the amount of tax shall, whenever necessary,—

(a) in the case of a stage carriage plying exclusively within the limits of a City or Municipality, be rounded off to the nearest paisa, that is to say, fractions of half a paisa and over shall be counted as one and less than half a paisa shall be disregarded ; and

(b) in the case of other stage carriages, be rounded off to the nearest multiple of five paise, that is to say, fractions of two and a half paise and over shall be counted as five paise and of less than two and a half paise shall be disregarded.”

\*[For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated May 2, 1970.]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 4, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 15, 1970.)

Received the Assent of the Governor on June 1, 1970 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated June 3, 1970.

Price 05 Paise.

पी० ए० ए० यू० पी०—ए० पी० ११९ जनरल (लेन) १९७०—१८४५ (मं०)

## उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 20, 1970)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4-5-1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 15-5-1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया] ।

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 1-6-1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3-6-1970 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 का अग्रोत्तर संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1970 संक्षिप्त नाम कहलायेगा ।

2—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 को धारा 3 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

उ० प्र० अधि-  
नियम संख्या 8,  
1962 को धारा  
3 का संशोधन

“प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) केवल नगर या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर चलने वाली यात्री-गाड़ी की दशा में, कर की धनराशि की, आवश्यकतानुसार, गणना निकटतम पैसे में की जायगी; अर्थात् आधे पैसे और उससे अधिक को पूरा पैसा गिना जायगा और आधे पैसे से कम को छोड़ दिया जायगा ; और

(ख) अन्य यात्री गाड़ियों की दशा में, कर की धनराशि की, आवश्यकतानुसार, गणना निकटतम पांच पैसे के गुणक में की जायगी, अर्थात् ढाई पैसे और उससे अधिक को पूरे पांच पैसे गिना जायगा और ढाई पैसे से कम छोड़ दिया जायगा ।”

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 2-5-1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ]

Price 05 Paise.

पी० यस० यू० पी०—ए० पी० १२० जनरल (लोग) १९७०—१८३० (म०)